जनजातीय समाज को सशक्त बनाना: सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए पहल

> *जब सही प्रयास किये जाते हैं, तो सही परिणाम मिलते हैं। मेरा मानना है कि हमारे आदिवासी युवा प्रगति करेंगे और उनकी क्षमता से देश को लाभ होगा।*

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

प्रस्तावना

भारत की अनुसूचित जनजाति (एसटी) आबादी, जिसमें 705 से अधिक अलग-अलग समूहों के 10.42 मिलियन लोग (कुल जनसंख्या का 8.6%) शामिल हैं, अक्सर दूरदराज के इलाकों में रहते हैं। इन समुदायों के उत्थान के लिए, सरकार ने सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण, सतत् विकास और उनकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं। ये पहल जीवन स्तर में सुधार, शिक्षा को बढ़ावा देने और आदिवासी आबादी के लिए समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए तैयार की गई हैं।

भारत के जनजातीय समुदायों का सम्मान करना और उनका जश्न मनाना[2]

जनजातीय सशक्तिकरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के तहत, सरकार ने कई पहल शुरू की हैं।

आदिवासी समुदायों की परंपराओं और उनकी विरासत का सम्मान करने के लिए 15 नवंबर को जनजातीय दिवस मनाना शुरू किया गया। इस दिन देशभर के आदिवासी समुदायों द्वारा पूजनीय भगवान बिरसा मुंडा की जयंती होती है। बिरसा मुंडा ने शोषणकारी ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी और स्वतंत्रता के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया। आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद करने के लिए वर्ष 2021 से देश भर में जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष, बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री एक विशेष स्मारक सिक्के और डाक टिकट का अनावरण करेंगे, जबकि विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में आदिवासी समुदायों के उत्थान के लिए 6,640 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं की भी शुरूआत करेंगे।

जनजातीय सशक्तिकरण तथा विकास के लिए बजट[3]

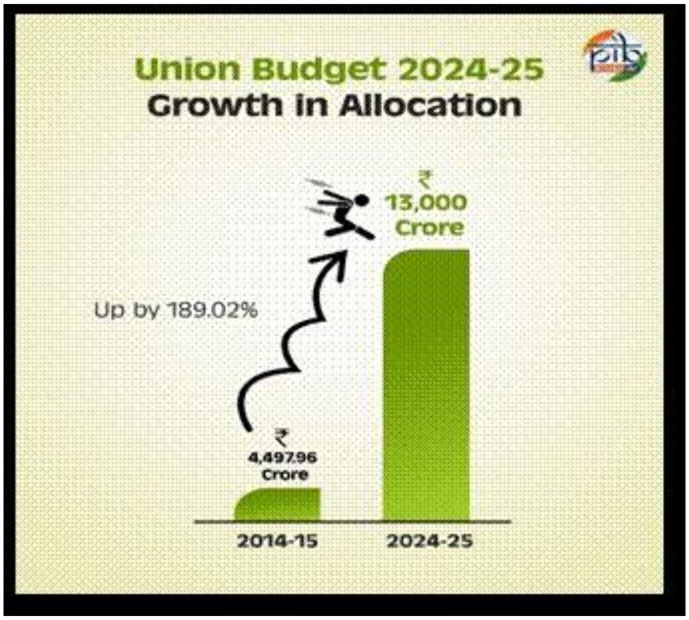

आदिवासी समाज के समग्र विकास के लिए, **केंद्रीय बजट 2024-25 ने जनजातीय कार्य मंत्रालय को 13,000 करोड़ रुपये आवंटित** किए हैं। अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएसटी) के तहत, जिसे पहले जनजातीय उप-योजना (टीएसपी) के रूप में जाना जाता था, 42 मंत्रालय/विभाग शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में जनजातीय विकास के लिए धन आवंटित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वर्ष 2013-14 के बाद से डीएपीएसटी फंड आवंटन 5.8 गुना बढ़कर रु. 2024-25 में 1,24,908 करोड़ रुपए हो गया है।

जनजातीय समुदाय के कल्याण के लिए योजनाएं

पिछले कुछ सालों में, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) की जरूरतों पर विशेष ध्यान देते हुए, आदिवासी समुदायों के सामाजिक-आर्थिक विकास का समर्थन करने के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं। ये कार्यक्रम उनकी जीवन स्थितियों को बेहतर बनाने और उन्हें मुख्यधारा के समाज में शामिल करने के लिए तैयार किए गए हैं।

धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरूआत[4]

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2024 को झारखंड के हज़ारीबाग में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की। 79,156 करोड़ रुपए से अधिक के परिव्यय के साथ, इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम का लक्ष्य लगभग 63,843 आदिवासी गांवों में सामाजिक बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका विकास की राह में मौजूद फासले को खत्म करना है।

प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन)[5]

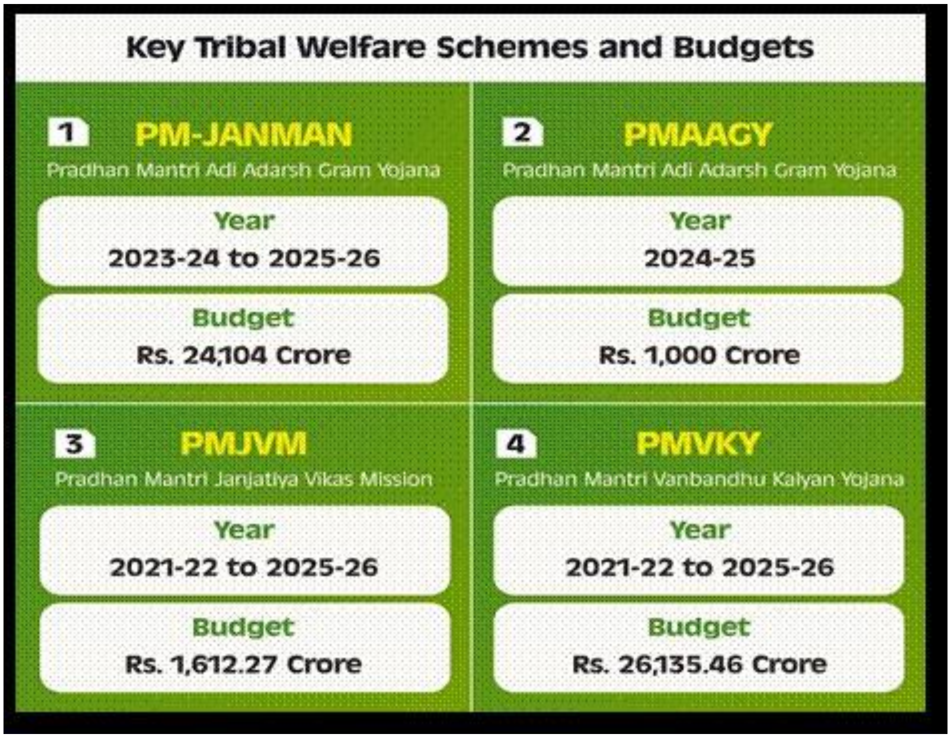

झारखंड के खूंटी में 15 नवंबर 2023 को जनजातीय गौरव दिवस के दौरान, प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के उत्थान के लिए प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) की शुरुआत की। पीएम-जनमन का लक्ष्य सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और दूरसंचार कनेक्टिविटी, विद्युतीकरण और स्थिर आजीविका जैसे क्षेत्रों में लक्षित समर्थन के ज़रिए पीवीटीजी समुदायों के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है।

प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (पीएमएएजीवाई)

वर्ष 1977-78 में शुरू की गई 'जनजातीय उप-योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता (एससीए से टीएसएस)' का उद्देश्य आदिवासी कल्याण के लिए विकास की राह में आए अंतराल को पाटना था। 2021-22 में, इस योजना को प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (पीएमएएजीवाई) के रूप में नया रूप दिया गया, जिसमें सार्थक आदिवासी आबादी वाले गांवों में बुनियादी ढांचा प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। पीएमएएजीवाई के तहत, विकास के लिए **50% जनजातीय आबादी वाले** वाले **36428 गांवों** की पहचान की गई है, जिसमें आकांक्षी जिलों के गांव भी शामिल हैं।

एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस)

वर्ष 2018-19 में शुरू की गई एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) योजना का उद्देश्य आदिवासी छात्रों को उनके शैक्षणिक, सांस्कृतिक और कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। 2 अक्टूबर 2024 को, प्रधानमंत्री ने **2,800 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश के साथ** 40 ईएमआरएस का उद्घाटन किया और 25 अन्य की नींव रखी। अब तक 728 ईएमआरएस को मंजूरी दी जा चुकी है।

प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम)

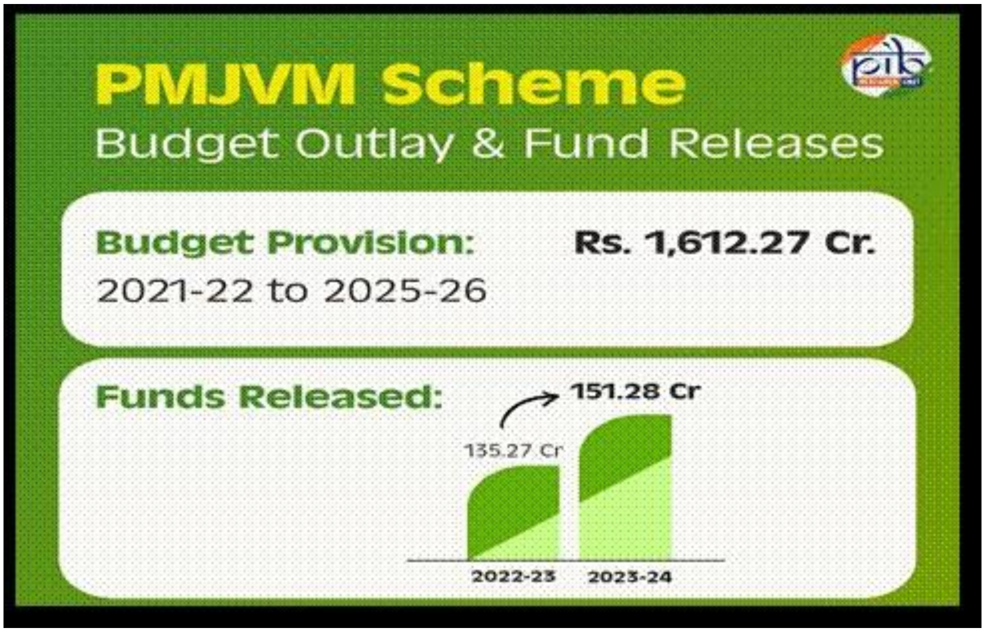

पीएमजेवीएम का लक्ष्य आदिवासी उद्यमिता और "आदिवासियों द्वारा लोकल फॉर वोकल" पहल को बढ़ावा देना है। यह स्थानीय उत्पाद-आधारित व्यवसायों का समर्थन करते हुए आदिवासी समुदायों को लघु वन उत्पाद (एमएफपी) और गैर-एमएफपी सहित प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर उपयोग करने में मदद करने पर केंद्रित है।

प्रधानमंत्री वनबंधु कल्याण योजना(पीएमवीकेवाई)[6]

28 अक्टूबर 2014 को शुरू की गई, **प्रधानमंत्री वनबंधु कल्याण योजना (पीएमवीकेवाई)** एक परिवर्तनकारी पहल है, जिसे भारत के आदिवासी समुदायों के सामने आने वाली अनूठी चुनौतियों

का समाधान करने के लिए तैयार किया गया है। इस योजना का मकसद आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाना, सामाजिक-आर्थिक स्थितियों को बढ़ाना और उनकी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना है।

जनजातीय सशक्तिकरण के लिए प्रमुख सरकारी छात्रवृत्ति

जनजातीय छात्रों की सहायता के लिए छात्रवृत्तियाँ भी उपलब्ध हैं, जिसका लक्ष्य, स्कूल छोड़ने की दर को कम करना और उनकी शैक्षिक प्रगति को बढ़ावा देना है। ये वित्तीय सहायता सुनिश्चित करती है कि आदिवासी समुदायों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक अधिक पहुंच मिले और उन्हें बेहतर भविष्य बनाने का मौका मिले।

1. प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाएं

- **मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति**: कक्षा IX और X में एसटी छात्रों के लिए वित्तीय सहायता तथा माध्यमिक शिक्षा में बदलाव को बढ़ावा देना।
- **पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति**: उच्च शिक्षा का समर्थन करते हुए, कक्षा XI से स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों तक के एसटी छात्रों के लिए वित्तीय सहायता।

2. एसटी छात्रों के लिए राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति

यह योजना मेधावी एसटी छात्रों को अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर, डॉक्टरेट और पोस्ट-डॉक्टरल अध्ययन करने का अवसर प्रदान करती है।

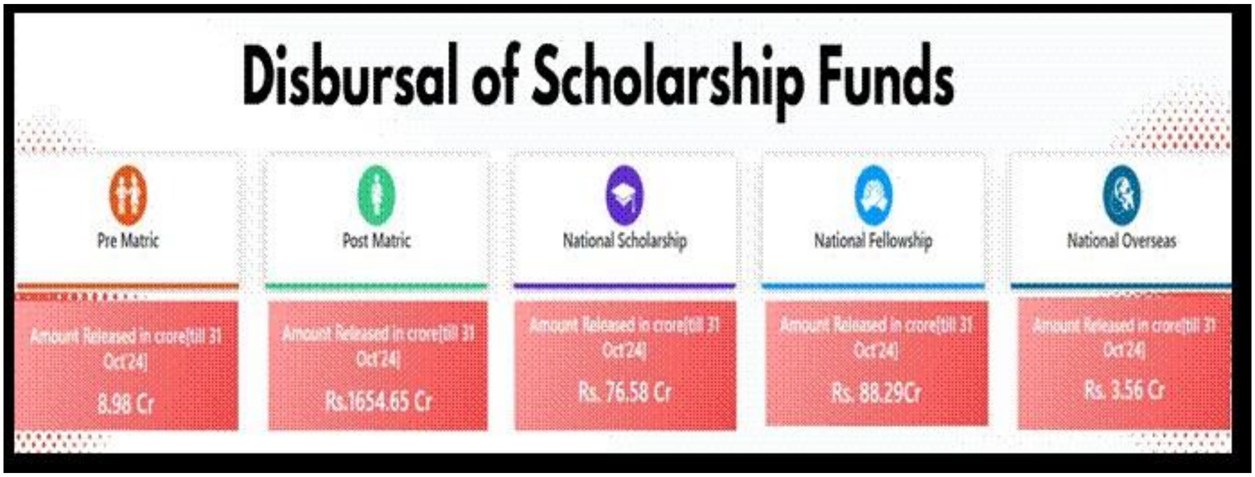

3. एसटी छात्रों के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप

यह फेलोशिप योजना पूरी तरह से डिजिटल प्रक्रिया के ज़रिए उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले आदिवासी छात्रों की मदद करती है, जिससे डिजिलॉकर एकीकरण के माध्यम से समय पर वित्तीय सहायता और शिकायत निवारण सुनिश्चित होता है।

वित्तीय मदद तथा स्व-रोज़गार योजनाएं

सरकार ने आय सृजन और आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। ऐसी ही एक पहल, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) है, जो अनुसूचित जनजातियों के लिए स्व-रोजगार और आय-सृजन गतिविधियों का समर्थन करने के लिए रियायती ऋण प्रदान करता है, जैसे कि-

1. **सावधि ऋण योजना:** यह योजना प्रति यूनिट 50 लाख रुपये तक की आय-सृजन परियोजनाओं के लिए ऋण प्रदान करती है।

2. **आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना (एएमएसवाई):** अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के सशक्तिकरण पर केंद्रित, यह योजना आय-सृजन गतिविधियों के लिए प्रति यूनिट 2 लाख रुपए तक की लागत वाले ऋण प्रदान करती है।

3. **स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के लिए माइक्रो क्रेडिट योजना:** इस योजना के तहत, एनएसटीएफडीसी प्रति एसएचजी को 5 लाख रुपए और प्रति सदस्य 50,000 रुपए तक का ऋण प्रदान करता है।

4. **आदिवासी शिक्षा ऋण योजना (शिक्षा ऋण):** यह योजना भारत में व्यावसायिक या तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने वाले अनुसूचित जनजाति के छात्रों को 10 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

बेहतर स्वास्थ्य परिणामों के लिए पहल

सरकार ने आदिवासी समुदायों की भलाई में सुधार लाने के उद्देश्य से कई प्रमुख स्वास्थ्य पहलों की शुरूआत की है। 1 जुलाई, 2023 को शुरू किया गया सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन, मध्य, पश्चिमी और दक्षिणी भारत में आदिवासी आबादी पर विशेष जोर देने के साथ जागरूकता अभियान, सार्वभौमिक जांच और किफायती देखभाल के माध्यम से सिकल सेल रोग (एससीडी) को खत्म करने पर केंद्रित है। **मिशन इंद्रधनुष** जनजातीय समुदायों पर ध्यान केंद्रित करते हुए

2 वर्ष तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करता है, और इसमें मुफ्त कोविड-19 टीकों को भी शामिल किया गया है। **निक्षय मित्र पहल** तपेदिक (टीबी) रोगियों को नैदानिक, पोषण और व्यावसायिक सहायता प्रदान करती है, जिनमें से कई आदिवासी क्षेत्रों से हैं, जिसका उद्देश्य टीबी के उपचार और परिणामों में सुधार करना है।

अनुसंधान और सांस्कृतिक संरक्षण पहल

कल्याण और विकास योजनाओं के अलावा, सरकार ने आदिवासी संस्कृति के अनुसंधान और संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने वाली पहलों की भी शुरूआत की है। इन कार्यक्रमों का मकसद आदिवासी समुदायों की सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों की समझ को बढ़ाना, उनकी विरासत को बढ़ावा देना और विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान का समर्थन करना है।

विशेष रुप से कमज़ोर जनजातीय समूहों(पीवीटीजी) के लिए विकास कार्यक्रम

जनजातीय कार्य मंत्रालय सबसे कमजोर जनजातीय समुदायों के सामाजिक आर्थिक विकास और कल्याण का समर्थन करने के लिए **विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) का विकास** योजना लागू कर रहा है। इसका लक्ष्य 75 चिन्हित पीवीटीजी समुदायों के लिए कमियों को दूर करना है। 2023-24 से इस योजना को **पीएम जनमन** पहल के तहत शामिल कर दिया गया है।

जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) को सहायता

आदिवासी संस्कृति को संरक्षित करने और उनकी सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों का समाधान करने में टीआरआई महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। टीआरआई को सहायता योजना, जनजातीय कल्याण, भाषाओं, परंपराओं और औषधीय प्रथाओं पर अनुसंधान और दस्तावेज़ीकरण को बढ़ावा देती है, साथ ही सांस्कृतिक उत्सवों और विनिमय कार्यक्रमों का भी आयोजन करती है।

जनजातीय अनुसंधान सूचना, शिक्षा, संचार और कार्यक्रम (टीआरआई-ईसीई)

योजना के तहत, मंत्रालय, गणतंत्र दिवस समारोह के लिए मेहमानों को आमंत्रित करता है, राज्य और/या राष्ट्रीय स्तर पर त्योहारों, प्रदर्शनियों और प्रतियोगिताओं का आयोजन करता है। जन जागरूकता और मीडिया सहित प्रचार और विज्ञापन के लिए भी धनराशि प्रदान की जाती है।

रुपए(करोड़ में)

योजना का नाम	**2022-23 के लिए बीई**	**2023-24 के लिए बीई**
जनजातीय अनुसंधान सूचना, शिक्षा, संचार और कार्यक्रम (टीआरआई-ईसीई)	15.00 विज्ञापन और प्रचार– 1.50 सामान्य– 7.00 अन्य शुल्क– 6.50	25.00 विज्ञापन और प्रचार – 3.00 सामान्य – 7.00 अन्य शुल्क – 15.00

निष्कर्ष

सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक-आर्थिक विकास पर जोर देते हुए आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाने के लिए कई पहलों की शुरूआत की है। जागरूकता बढ़ाने और एकता को बढ़ावा देते हुए, ये प्रयास आदिवासी संस्कृतियों को संरक्षित करने में मदद करते हैं, उनके जीवन स्तर को बढ़ाते हैं और उन्हें भारत की व्यापक प्रगति का हिस्सा बनाते हैं। इन पहलों के माध्यम से, आदिवासी समुदायों का न केवल उत्थान किया जाता है, बल्कि उन्हें राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए भी तैयार किया जाता है। यह **"सबका साथ, सबका विकास"** के दृष्टिकोण के अनुरूप है और सुनिश्चित करता है कि आदिवासी समूहों सहित सभी समुदाय समावेशिता और विकास की भावना से एक साथ आगे बढ़ें।

संदर्भ

- https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1977638
- https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2073103#:~:text=Prime%20Minister%20Shri%20Narendra%20Modi,Dharti%20Aaba%20Bhagwan%20Birsa%20Munda.
- https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2073103
- https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2072152
- https://pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=153230&ModuleId=3&reg=3&lang=1
- https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2036245
- https://pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=153376&ModuleId=3&reg=3&lang=1

***

एमजी/केसी/एनएस

(Backgrounder ID: 153421)